UPET010033572026

न्यायालय : विशेष न्यायाधीश(दस्यु प्रभावित क्षेत्र) एटा।
उपस्थितः शशि भूषण कुमार शांडिलः: उच्चतर न्यायिक सेवा :: JO Code-U.P.02751
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–960 सन 2026

1–रामनाथ उम्र करीब 61 वर्ष पुत्र लालाराम
2–प्रमोद यादव उम्र करीब 45 वर्ष पुत्र रामेश्वर सिंह यादव
3–विक्रान्त यादव उम्र करीब 29 वर्ष पुत्र रामनाथ सिंह
समस्त निवासीगण अमृतपुर रघूपुर थाना जसरथपुर, जिला एटा।

.....अभियुक्तगण

बनाम
उ0प्र0 राज्य

15.05.2026

अ०सं०–294/2021
धारा–307, 354 ख, 395, 323, 506 भा०दं०सं०
थाना–अलीगंज
जनपद–एटा।

आदेश

1. यह जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्तगण रामनाथ, प्रमोद यादव व विक्रान्त यादव की ओर से मु0अ0सं0–294/2021 अन्तर्गत धारा 307, 354 ख, 395, 323, 506 भा०दं०सं०, थाना अलीगंज, जिला एटा के मामले में अग्रिम जमानत **(Anticipatory Bail)** हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 02–06–2021 को समय लगभग 12 बजे दोपहर वादिया अपने पुत्र के साथ अलीगंज डायबिटीज की दवा लेने जा रही, तभी ग्राम अकबरपुर कोट के आगे पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, वहां पर पहले से ही खड़ी बीच रास्ते में इनोवा व फारचूनर गाड़ी में ग्राम के ही रामनाथ पुत्र लालाराम, विनोद यादव पुत्र स्व० रामखिलाड़ी, विक्रान्त यादव पुत्र रामनाथ यादव इनोवा गाडी से बाहर उतेर तथा जुगेन्द्र पुत्र स्व० लालाराम, पुष्पेन्द्र यादव पुत्र जुगेन्द्र सिंह यादव, प्रमोद यादव पुत्र रामेश्वर सिंह यादव, फारचूनर गाडी से बाहर निकले, जिन गाडी की नंबर प्लेट ढकी हुई थी और उतरते ही पुष्पेन्द्र यादव, विक्रान्त यादव द्वारा वादिया के पुत्र को जबरन पकड़कर अपहरण की नियत से गाडी में ले जाने लगे। वादिया द्वारा शोर मचाने पर उसे धक्का मारकर

Digitally signed by SHASHI BHUSHAN KUMAR SHANDIL
Date: 2026.05.15 19:17:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

गिरा दिया। किसी तरह से वादिया का पुत्र अपने को छुड़ाकर तो एक राय होकर जान से मारने के इरादे से जुगेन्द्र सिंह यादव ने कहा कि क्या देखते हो सालो मार दो गाली साले को इतने में ही पुष्पेन्द्र व विक्रान्त यादव द्वारा तमंचा निकालकर एक के बाद एक जान से मारने की नियत से तीन फायर किये। वादिया के पुत्र ने पीपल की आड़ में छिपकर जान बचायी और वहां से पूर्व की ओर भाग खड़ा हुआ। इसके बाद रामनाथ यादव ने प्रार्थिया के बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया और कपड़े फाड़ दिये और सभी ने लात–घूसों से पिटाई की, जिससे अंदरुनी चोटें आयी है। कई राहगीरों के आ जाने और प्रार्थिया के पुत्र द्वारा दूर से बचाओं–बचाओं की आवाज लगाने पर यह लोग पर्स में पड़े सात हजार रुपये जो घरेलू सामान खरीदने के लिए जो रहे थे। सभी लोग जाते हुए चेतावनी देते गये कि यदि हम लोगों के खिलाफ लिखा–पढ़ी बंदी नही हुई तो सपरिवार नष्ट कर दिया जायेगा।

3. अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण उपरोक्त अपराध में नितान्त निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्तगण का उक्त अपराध में द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी भी सक्षम न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में न तो लम्बित है और ना ही खारिज हुआ है। प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आरोप पत्र आने से पूर्व प्रस्तुत की गयी थी जो कि निरस्त हो गयी थी। प्रार्थी/अभियुक्तगण को आशंका है कि उसे अ0सं0–294/2021 अन्तर्गत धारा–307, 354 ख, 395, 323, 506 आईपीसी थाना अलीगंज जिला एटा में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। जिसका उद्देश्य प्रार्थी/अभियुक्तगण की छवि को धूमिल करने का मात्र उद्देश्य है। उपरोक्त मामला ऐसा नहीं है जिससे माननीय न्यायालय द्वारा धारा–482 बी. एन.एस.एस. का प्रयोग न किया जा सके और ना ही कथित अपराध मृत्यु दण्ड से दण्डित होने बाध्य है। प्रार्थी/अभियुक्तगण उपरोक्त में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र धारा–482 बी.एन. एस.एस. के अन्तर्गत श्रीमान् जी के न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे है। अभियोजन कहानी के अनुसार दिनांक 02.06.2021 को समय लगभग 12 बजे दोपहर को वादिया अपने पुत्र के साथ अलीगंज डायबिटीज की दवा लेने गयी थी तभी अकबरपुर कोट के आगे पीपल के पेड के पास पहुंचा तो यहाँ पर पहले से खड़ी बीच रास्ते में इनोवा व फारचूनर गांडी में गाँव के रामनाथ, विनोद, विक्रान्त इनोवा गाडी से निकले तथा जोगेन्द्र सिंह, पुष्पेन्द्र, प्रमोद ये लोग फारचूनर से बाहर निकले गाडी की नम्बर प्लेट ढकी थी उतरते ही पुष्पेन्द्र यादव, विक्रान्त यादव द्वारा वादिया को जबरन पकडकर अपहरण की नियत से गाडी में ले जाने लगे विरोध व शोर मचाने पर वादिया को धक्का मारकर गिरा दिया किसी तरह वादिया का पुत्र छूटकर पीपल की तरफ भागा तो

एक राय होकर जान से मारने के इरादे से जोगेन्द्र सिंह ने कहा देखते क्या हो सालों को गोली मार दो इतने में पुष्पेन्द्र व विक्रान्त द्वारा तमंचा निकाल कर जान से मारने की नियत से तीन फायर कर दिये पुत्र ने पीपल की आड़ में छिप कर जान बचायी इसके बाद रामनाथ यादव ने वादिया के बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया और कपड़े फाड़ दिये और सभी के द्वारा लात घूसों से पिटाई की जिससे अंदरूनी चोट आना बताया है तथा लोगों के आने पर उक्त लोग 7 हजार रूपया पर्स से लूट ले गये तथा अन्य आरोप लगाना बताया गया है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि वादिया को प्रार्थीगण व अन्य परिवार के सदस्यों को फंसाने के लिए रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी है क्योंकि प्रार्थीगण व उसके सहअभियुक्तगण परिवारीजन है और जिला में किसी न किसी पद पर जनता द्वारा चुने जाते रहे हैं। इसी कारण राजनैतिक द्वेष भावना से उक्त मुकदमा में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण के खिलाफ वादिया द्वारा यह नहीं बताया है कि उसके द्वारा क्या कृत्य किया है क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्तगण के द्वारा कोई कृत्य करना नहीं दर्शाया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण ने न तो वादिया के पुत्र का अपहरण किया और न ही उसने वादिया के कपडे फाडे और न ही उसकी मारपीट की और न ही उसके पर्स से रूपया लूटे और न ही फायर किये और न ही किसी प्रकार की धमकी दी। प्रार्थी/अभियुक्तगण को महज इसलिए फंसाया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष व पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह के परिवार के है। प्रार्थी/अभियुक्तगण प्रमोद व विक्रांत वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य है तथा रामनाथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुका है। प्रथम सूचना रिपोर्ट से ही स्पष्ट है कि घटना की रिपोर्ट रंजिश व वादिया द्वारा प्रार्थी/अभि० गण से राजनैतिक रंजिश मानने वाले राजनैतिक व्यक्तियों से धनराशि लेकर प्रार्थीगण व उसके परिवार के खिलाफ उपरोक्त मुकदमा में झूठा फंसा दिया गया। प्रार्थी/अभियुक्तगण का उक्त मुकद्दमा की घटना से कोई सरोकार नहीं है। घटना वाले दिन दिनांक 02.06.2021 को प्रार्थी/अभियुक्तगण के घर पर शान्तिपाठ था शान्तिपाठ होने के कारण प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के सह अभियुक्तगण घर पर शान्तिपाठ में शामिल थे और व्यवस्था की पूर्ण देखभाल कर रहे थे क्योंकि जनपद एटा व जनपद एटा के ओर पास के राजनैतिक व्यक्तियों व क्षेत्रीय लोगों का सुबह से ही आना जाना शुरू हो गया जो कि रात तक चला। जिस घर में शान्तिपाठ का प्रोग्राम हो उस दिन कोई भी उक्त या किसी प्रकार की घटना कारित नहीं कर सकता है। उपरोक्त अपराध की रिपोर्ट लगभग साढे तीन महीने बाद दिनांक 18.09.2021 को पंजीकृत करायी गयी है। वादिया ने स्वंय प्रधानी का चुनाव प्रार्थी/अभियुक्तगण के सगे भाई व चाचा श्री रवेन्द्र सिंह यादव पुत्र स्व० श्री लालाराम यादव के विरूद्ध ग्राम अमृतपुर रघूपुर से लडा था जिसमें मेरे चाचा को

752 मत प्राप्त हुये थे जबकि वादिया को मात्र 48 मत प्राप्त हुए थे जो चौथे स्थान पर रही तथा इनकी जमानत भी जब्त हो गयी थी जिससे वह बुरी तरह हार गई थी। विवेचना के उपरान्त उपरोक्त मुकदमा में अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 24.10.2021 को प्रेषित की गयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना दिन के 12 बजे दोपहर की बतायी गयी है जबकि विवेचना के अनुसार दोपहर के 12 बजे पीडिता की लोकेशन लखनऊ में पायी गयी। उपरोक्त अपराध नो इंजरी केस है। प्रार्थी/अभियुक्तगण सजायाफ्ता व्यक्ति नहीं है जो भी मुकदमें प्रार्थी/अभियुक्तगण पर लगाये गये हैं वह राजनैतिक द्वेष भावना के कारण झूठे लगाये गये हैं। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा करने की कृपा करें।

4. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा विरोध करते हुए कथन किया है कि आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है। तद्नुसार अग्रिम जमानत निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5. अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा उपलब्ध प्रलेखों का सम्यक परिशीलन किया।

6. दण्ड प्रकिया संहिता (उ०प्र०संशोधन) अधिनियम 2018 (उ०प्र०अधिनियम संख्या 4 सन 2019) धारा 438 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत इस न्यायालय से यह अपेक्षित है कि वह निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करेः–

1. अभियोग की प्रकृति और गम्भीरता,

2. आवेदक का पूर्ववृत्त जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के सम्बन्ध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर पहले ही कारावास भुगत चुका है।

3. न्यायालय से भागने की सम्भाव्यता और,

4. जहां आवेदक को इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो, वहाँ आवेदन तत्काल स्वीकृत कर सकता है, या अग्रिम जमानत मन्जूर करने के लिये अन्तरिम आदेश जारी कर सकता है।

अशोक कुमार शर्मा बनाम स्टेट आफ राजस्थान 1980 सी०आर०एल०जे०राजस्थान 54 के निर्णय द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि आवेदक यह प्रथम दृष्टया दर्शाने में विफल रहता है कि

उसे मात्र लज्जित करने के उद्देश्य से झूठे मुकदमे में गिरफतार किया जायेगा तो ऐसी दशा में उसकी अन्तरिम जमानत स्वीकार नहीं की जानी चाहिये।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण प्रमोद व विक्रान्त वर्तमान में जिला पंचायत के सदस्य हैं तथा अभियुक्त रामनाथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुका है। वादिया पूर्व में ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ चुकी है। वर्तमान प्रकरण में वादिया मुकदमा तथा अभियुक्तगण का राजनीतिक पृष्ठभूमि का होना प्रतीत होता है। प्रस्तुत प्रकरण 7,000 रुपये की लूट से संबंधित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में पीड़िता के अन्दरूनी चोटों के आने का उल्लेख है। उपर्युक्त प्रकरण में आरोप पत्र न्यायालय में प्राप्त हो चुका है। इस स्थिति में साक्षियों को प्रभावित करने की सम्भावना शेष नहीं रही। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण की अग्रिम जमानत को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्तानुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण **रामनाथ, प्रमोद यादव व विक्रान्त यादव** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अतः प्रत्येक अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000/–रूपये का एक प्रतिभू एवं इसी धनराशि का एक व्यक्तिगत बन्ध पत्र दाखिल करने पर निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाता है–

1. आवेदकगण/अभियुक्तगण के पुनः अपराध में लिप्त होने की शिकायत प्राप्त होने पर जांचोपरान्त किसी क्षण जमानत निरस्त की जा सकेगी।

2. आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा साक्ष्यों को तोड़ने या डराने धमकाने की शिकायत प्राप्त होने पर जांचोपरान्त किसी क्षण जमानत निरस्त की जा सकेगी।

3. आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा विवेचना/विचारण में सहयोग न देने की शिकायत जांचोपरान्त किसी क्षण जमानत निरस्त की जा सकेगी।

4. आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।

(शशि भूषण कुमार शांडिल)
विशेष न्यायाधीश(द0प्र0क्षे0)
एटा।